आनलाइन पारगमन घोषणा पत्र (Transit Declaration Form-TDF) की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में जिज्ञासाएँ (FAQs)

प्र01- आनलाइन पारगमन घोषणा पत्र (TDF) क्या है ?

उ0- किसी वाहन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य से होते हुए राज्य के बाहर गन्तव्य के लिए उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा-50 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट माल का परिवहन किया जाता है तो ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी / वाहन चालक / प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रदेश में प्रवेश करने से पूर्व माल से सम्बन्धित बिलों / चालानों एवं अन्य प्रपत्रों का सम्पूर्ण विवरण (वजन सहित) विभागीय वेबसाइट http:\\comtaxup.nic.in पर दर्ज करके उसका प्रिन्ट आउट लिया जाना अनिवार्य है। यह प्रपत्र ही पारगमन घोषणा पत्र (आनलाइन ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म) है।

प्र02- ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म को आनलाइन जारी करने हेतु क्या वाहन का पंजीकरण कराया जाना है?

उ0 आनलाइन TDF जनरेट करने के लिए प्रत्येक वाहन को वेबसाइट पर वाहन के निम्न विवरण को फीड करके **केवल एक बार ही** वाहन का पंजीकरण कराया जाना है -

1- वाहन संख्या 2- वाहन स्वामी का नाम व पता-परिवहन विभाग की R.C. के अनुसार 3- वाहन स्वामी का PAN 4- वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर 5- वाहन का चेसिस नम्बर 6- वाहन का इंजन नम्बर 7- ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जिससे वाहन सम्बद्ध है। 8- ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के स्वामी का नाम व पता 9- ट्रान्सपोर्टर की स्वामी का PAN 10- ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के स्वामी का मोबाइल नम्बर 11- ट्रान्सपोर्टर की सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या

उपरोक्तानुसार कराया जाने वाला वाहन का पंजीयन नि:शुल्क है। इसके फीड करते ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर वाहन स्वामी तथा ट्रान्सपोर्टर के मोबाइल नम्बर पर SMS हो जायेगा। पंजीकरण के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

प्र03- क्या वाहन के पंजीकरण के बाद यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड के लिए पुन: आवेदन करना होगा?

उ0- नहीं। वाहन के एक बार पंजीकरण कराने के बाद यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड के लिए पुन: आवेदन नहीं करना होगा। TDF जनरेट करने के लिए वाहन संख्या यूजर आई0डी0 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रथम बार पासवर्ड के रुप में स्वीकार्य होगा। यूजर के पास पासवर्ड को सुविधानुसार बदलने की सुविधा उपलब्ध है।

प्र04- क्या पंजीकरण के बाद मोबाइल नम्बर या ई-मेल बदलने पर पुन: पंजीकरण कराना होगा ?

उ0- नहीं। मोबाइल नम्बर या ई-मेल बदलने के लिए पुन: पंजीकरण आवश्यक नहीं है। पूर्व से प्रयोग किये जा रहे यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड से login करके मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल अपडेट किया जा सकता है।

प्र05- क्या वाहन को पंजीकरण के समय अंकित ट्रान्सपोर्टर से भिन्न ट्रान्सपोर्टर के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है ?

उ0- हाँ। पंजीकरण के समय अंकित ट्रान्सपोर्टर से भिन्न ट्रान्सपोर्टर के माध्यम से परिवहन कराने के login के भीतर Add Transporter का विकल्प उपलब्ध है। इस पर क्लिक करके नये ट्रान्सपोर्टर का विवरण अंकित किया जा सकता है।

प्र06- क्या वाहन के विक्रय के पश्चात वाहन स्वामी के परिवर्तन होने पर पूर्व से किया गया रजिस्ट्रेशन क्रियाशील रहेगा ?

उ0- नहीं। किसी भी दशा में वाहन स्वामी के परिवर्तन होने की स्थिति में वाहन को पुनः वेबसाइट पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात नये रजिस्ट्रेशन नम्बर का प्रयोग पासवर्ड के रुप में किया जायेगा।

प्र07- TDF-1 तथा TDF-2 क्या है ?

उ0- माल के पारगमन हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ट्रान्सपोर्टर / वाहन चालक द्वारा आन लाइन विवरण भरकर प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। यही TDF-1 है।
उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलने के पश्चात 24 घण्टे के भीतर बाहर निकल जाने का विवरण वेबसाइट पर अंकित किया जायेगा तथा उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। यही TDF-2 है।

प्र08- क्या वाहन को प्रदेश के सभी स्थान से बाहर नही ले जाया जा सकता ? क्या इसकी घोषणा आनलाइन करनी होगी ?

उ0- नहीं। वाहन को प्रदेश के सभी स्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। पारगमन घोषणा पत्र में वाहन को प्रश्नगत माल सहित प्रदेश के जिस भी सीमावर्ती स्थान से बाहर ले जाना है उसकी घोषणा भी करनी होगी। यह 37 सीमावर्ती स्थानों की सूची Exit location के Dropdown में उपलब्ध होगा।

प्र09- क्या TDF निश्चित समयावधि तक वैध है ?

उ0- हॉ। पारगमन घोषणा पत्र आनलाइन जनरेट करने के दिनांक से 04 दिन तक वैध रहेगा।

प्र010- क्या प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व तथा प्रदेश से निकलने के पूर्व माल के वजन की घोषणा करनी होगी ?

उ0- हॉ। पारगमन घोषणा पत्र TDF-1 में प्रान्त की सीमा में प्रवेश के पूर्व निकटवर्ती धर्मकॉटे से वजन कराकर अंकित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जिस स्थान से वाहन को प्रदेश की सीमा के बाहर जाना है प्रदेश की सीमा के अन्दर उस स्थान के निकटवर्ती धर्मकॉटे से वजन कराकर TDF-2 में अंकित करना अनिवार्य होगा।

प्र011- क्या प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व तथा प्रदेश की सीमा से निकलने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से ही SMS किया जा सकता है ?

उ0- वाहन स्वामी / ट्रान्सपोर्टर / वाहन चालक द्वारा अपने फोन से प्रवेश के पूर्व तथा निकलने के पश्चात निर्धारित प्रारुप में SMS किया जा सकता है।

प्र012- वाहन को उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान से प्रवेश कराया जा सकेगा ?

उ0- TDF-1 में Entry Location कालम में प्रदेश में प्रवेश हेतु निर्दिष्ट 37 स्थानों का उल्लेख है जिसमें से प्रवेश का स्थान चयनित किया जा सकेगा। प्रवेश का स्थान निर्दिष्ट 37 स्थानों से भिन्न होने पर Entry Location में Other का option चयनित कर प्रवेश का स्थान भरना होगा।

प्र013- किस नम्बर पर SMS किया जाना है ?

उ0- निर्धारित प्रारुप में 9235512608 पर SMS किया जायेगा।

प्र014- यदि क्रेता / विक्रेता अपंजीकृत हैं तो TDF फार्म भरते समय टिन नम्बर को छोड़ा जा सकता है ?

उ0- नहीं, अपंजीकृत क्रेता या विक्रेता की स्थिति में टिन नम्बर की फील्ड में 09 लिखने के बाद नौ बार शून्य अर्थात 09000000000 लिखा जायेगा ।

प्र015- वाहन में यदि लदे माल को यदि दूसरे वाहन में लोड (पल्टी) किया जाता है तो क्या पुनः TDF जनरेट किया जायेगा ?

उ0- नहीं, वाहन में लदे माल को यदि किसी दूसरे वाहन में लोड (पल्टी) किया जाता है तो नया TDF जनरेट नहीं किया जायेगा। जिस use ID तथा पासवर्ड से TDF जनरेट किया गया है उससे login करके change vehicle पर click करके नया वाहन नम्बर अंकित किया जायेगा।

प्र016- क्या पल्टी के लिये प्रयुक्त वाहन का भी TDF जनरेट करने हेतु आनलाइन पंजीकरण आवश्यक है ?

उ0- हॉ, पल्टी के लिये प्रयुक्त वाहन के लिये भी TDF जनरेट करने हेतु प्रश्न सं0-2 के उत्तर में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।यदि वाहन पूर्व में ही पारगमन हेतु पंजीकृत है तो उसे पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्र017- ट्रान्सपोर्टर / वाहन स्वामी द्वारा प्रदेश के भीतर प्रवेश के समय तथा प्रदेश के बाहर निकलते समय क्या SMS किया जायेगा ?

उ0- वाहन स्वामी / ट्रान्सपोर्टर / वाहन चालक द्वारा मोबाइल नम्बर 9235512608 पर प्रदेश में प्रवेश के समय अपने मोबाइल नम्बर से जिस TDF के संबंध में माल का परिवहन किया जा रहा है उसका क्रमांक लिखकर तथा स्पेस देने के बाद 1 लिखकर sms किया जाएगा ।इसी प्रकार प्रदेश से बाहर निकलते समय जिस TDF के संबंध में माल का परिवहन किया जा रहा है उसका क्रमांक लिखकर तथा स्पेस देने के बाद 2 लिखकर sms किया जाएगा ।

प्र018- क्या निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग से भी माल का परिवहन किया जा सकता है?

उ0- नहीं, माल के परिवहन हेतु TDF-1 में निर्धारित रुट का ही प्रयोग किया जायेगा । भिन्न रुट अपनाने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल दृष्टिकोंण अपनाते हुए तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्र019- क्या TDF-2 से सम्बन्धित सूचना के कागजात कहीं पास कराने हैं ?

उ0- नहीं, आपको TDF के utilization की सूचना आनलाइन ही देनी है ।

प्र0 20- क्या TDF-2 अपलोड किए जाने के पूर्व उसी वाहन के लिए नया TDF-1जनरेट किया जा सकेगा ?

उ0- नहीं । यदि पूर्व संव्यवहार के लिए TDF-2 अपलोड नहीं किया गया है तो इस वाहन से नया TDF-1 डाउनलोड नहीं हो सकेगा ।